

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम सांगरिया तहसील फुलियाकलां

: : मूल वाद मे अन्तिम डिक्री : :

[आदेश 20 नियम 0, 7 जा0वी0]

पीठासीन अधिकारी - श्री राजकेश गीना
(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 27/2020

उत्तवान

1. मेहबूना पत्नि बालू पिनारा उम वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा

..... वादीया

बनाम

1. राज. राज्य जसिये तहसीलदार फुलियाकलां जिला भील0

.... प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :- श्री सुनील कुमार शर्मा
श्री हितेश शर्मा..... वकील वादी
राज्य पक्ष तहसीलदार फुलियाकलां

दिनांक- 26.10.2021

वादीया का वादपत्र बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर ग्राम सांगरिया हल्का पटवारी क्षेत्र सांगरिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा स्थित खतौनी संख्या 449 के आराजी संख्या 1849 रकबा 0.64 हैक्टे. भूमि के राजस्व अभिलेखों में वादीया का नाम बतूल पत्नि बालू मन्सूरी सा.देह के स्थान पर मेहबूना पत्नि बालू पिनारा सा.देह खातेदार दुरस्त किये जाने आशय की अन्तिम डिक्री पारित की जाती है। डिक्री की प्रति तहसीलदार फुलियाकलां को पालनार्थ भिजवाई जावे। तहसीलदार फुलियाकलां तदनुसार राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद करें। खर्चा फरिफेन अपना-अपना वहन करे।

आज यह डिक्री दिनांक 26.10.2021 को प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम सांगरिया में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी गयी।

(राजकेश गीना)

उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां

जिला भीलवाड़ा
फुलिया कलां

